रमेशचन्द वगैरा बनाम भूरा वगैरा
प्रा0पत्र सं0 69 / 19

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- राजकुमार कस्वा R.A.S.
प्रार्थना पत्र संख्या :- 69 / 2019

दायर तारीख :– 22.07.2019

1. रमेशचन्द पुत्र रामदेव
2. अमरचन्द पुत्र रामदेव

समस्त जाति माली नि0 माता जी के मन्दिर के पास श्रीरामनगर फुलेरा जिला जयपुर

— प्रार्थीगण

बनाम

1. भूरा पुत्र सोसा
2. दुलीचन्द पुत्र सेवा
3. रामचन्द पुत्र भेमा
4. ईश्वर पुत्र भेमा
5. किशनलाल पुत्र काना
6. प्रभुदयाल पुत्र काना
7. लादीदेवी पुत्री काना
8. मोहनीदेवी पुत्री काना
9. प्रेमदेवी पुत्री काना

समस्त जाति माली नि0 वार्ड सं0 5 फुलेरा जिला जयपुर राज0

10. शान्तिदेवी पुत्री लालचन्द
11. आसूलीदेवी पुत्री लालचन्द
12. मन्नीदेवी पुत्री लालचन्द
13. मंजूदेवी पुत्री लालचन्द
14. खेमचन्द पुत्र लालचन्द

समस्त जाति माली नि0 चैनपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

15. खायचन्द पुत्र तुलसीराम जाति माली नि0 ढाणी आकाश्या वार्ड सं0 5 फुलेरा जिला जयपुर राज0
16. पूरणमल पुत्र तुलसीराम जाति माली नि0 ढाणी आकाश्या वार्ड सं0 5 फुलेरा जिला जयपुर
17. प्यारसीलाल पुत्र भैरू
18. रामपाल पुत्र भैरू
19. रमेश पुत्र भैरू
20. पांचूलाल पुत्र हरलाल
21. मदनलाल पुत्र हरलाल
22. कालूराम पुत्र हरलाल
23. रामलाल पुत्र हरलाल
24. मोहनलाल पुत्र भैरू
25. मंगलचन्द पुत्र ओंकार
26. घीसालाल पुत्र ओंकार
27. ज्ञानप्रकाश पुत्र ओंकार
28. लालचन्द पुत्र ओंकार
29. चौथीदेवी पत्नि ओंकार
30. गुटकादेवी पत्नि तुलसीराम
31. भंवरीदेवी पत्नि पांचूलाल

समस्त जाति माली नि0 ढाणी आकाश्या वार्ड सं0 5 फुलेरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

32. नन्दकिशोर पुत्र नाथूलाल [illegible] सी[illegible]म जी के मन्दिर के पास पुराना फुलेरा जिला जयपुर राज0
33. रामजीवणी पत्नि बालकिशन
34. कैलाशचन्द पुत्र बालकिशन
35. रमेशचन्द पुत्र बालकिशन

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.07.28 14:23:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

36. कमलकिशोर पुत्र बालकिशन
37. मुकेशचन्द पुत्र बालकिशन
38. कौशल्या देवी पुत्री बालकिशन
समस्त जाति ब्राहमण नि0 श्रीरामनगर फुलेरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
39. राजस्थान सरकार जरिये:– तहसीलदार फुलेरा मु0 साम्भरलेक

— अप्रार्थीगण

उपस्थित : श्री प्रेमचन्द भहड़ा, अधिवक्ता प्रार्थीगण
राज पेरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवन्यू ऐक्ट

निर्णय

निर्णय दिनांक : 13-11-19

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी ख0नं0 200/1039 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा वाकै ग्राम फुलेरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित है इस प्रकार उक्त आराजी प्रार्थीगण के कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी है जिस पर काबिज होकर प्रार्थीगण उक्त आराजी का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण की आराजी के नजदीक अप्रार्थी सं0 1 लगा0 38 की आराजी है तथा नजदीकी आराजी के खातेदार अप्रार्थी सं0 1 लगा0 38 आयेदिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न कर झगड़ा फिसाद पर आमंदा रहे है तथा आराजी सीमा सम्बन्धित अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर रखा है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की आराजी ख0नं0 200/1039 की सीमा का ज्ञान करवाने हेतु नियमानुसार अप्रार्थी सं0 39 के समक्ष प्रा0पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थी सं0 39 ने हल्का पटवारी को आदेश क्रमांक एल0आर0/19/2668 दिनांक 10.06.19 को प्रार्थीगण की आराजी का सीमाज्ञान करने का आदेश हल्का पटवारी को प्रदान किया जिस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 19.06.19 को मौके पर जाकर प्रार्थीगण की आराजी का सीमाज्ञान कर रिपोर्ट तैयार की। हल्का पटवारी ने प्रार्थीगण की उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर उपरोक्त रिपोर्ट तैयार की अप्रार्थी सं0 39 के कार्यालय में प्रस्तुत की जिसके पश्चात् भी प्रार्थीगण की आराजी की सीमा सम्बन्धित विवाद उत्पन्न हो रखा है। इस कारण प्रार्थीगण मुताबिक फर्द रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 19.06.19 के अनुसार प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी के पत्थरगढ़ी करवाकर उसके आधार पर तारबन्दी करवाना चाहते है जिससे प्रार्थीगण के कब्जें काश्त में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो सके ओर सीमा सम्बन्धित कोई विवाद भविष्य में उत्पन्न नहीं हो। इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी सं0 39 के समक्ष जाकर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया जिस पर अप्रार्थी ने समक्ष न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहा जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के कार्यालय से सीमाज्ञान की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की व अपनी उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु यह प्रा0पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी सं0 1 लगा0 14 की ओर से वकील श्री भींवाराम ने वकाल[illegible] पेश किया। अप्रार्थी सं0 17 व 18 स्वंय उपस्थित [illegible] का प्रा0पत्र पेश किया जो है। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 29 का नाम [illegible] अप्रार्थी सं0 15, 16, 20 स्वीकार होने पर अप्रार्थी सं0 [illegible] उपस्थित रहने के कारण इनके लगा0 28, 30 लगा0 38, 39 [illegible] विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। [illegible]र्थी सं0 19 ने अपना जवाब पेश कर अपने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थीगण का प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने में अप्रार्थी सं0 19 को कोई आपति नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 लगा0 14 ने अपने जवाब के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.07.28 14:23:14 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
[illegible] लेक

Scanned by CamScanner

अतिरिक्त कथनों में अंकित किया कि प्रार्थीगण ने खं0नं0 200/1039 की जमीन का सीमाज्ञान कतई गलत तरीकें से करवाया है उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान करवाते समय पड़ौसी खातेदार अप्रार्थी सं0 1 लगा0 14 को किसी प्रकार से सूचित नहीं किया गया है और सीमाज्ञान अप्रार्थी सं0 1 लगा0 14 की गैर मौजूदगी में किया गया है इसलिए प्रार्थीगण की आराजीयात की पत्थरगढ़ी किया जाना कतई गलत है क्योंकि अप्रार्थीगण की आराजीयात का वर्ष 1953 में सीमाज्ञान किया जाकरी उनकी आराजीयात की पत्थरगढ़ी की गई थी उसके पश्चात प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की आराजीयात को दबाते हुए पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का, पुलिस थाने से मिलकर कतई गलत रूप से सीमाज्ञान अपनी आराजीयात का करवाकर लिया है जिससे अप्रार्थीगण की जमीन को भी प्रार्थीगण ने अपनी आराजीयात में दबाकर सीमाज्ञान करवाया है जिसके आधार पर पत्थरगढ़ी किया जाना कतई गलत है इसलिए प्रार्थीगण का प्रा0पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

3. प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल फोटो प्रति प्रमाणित फर्द सीमा रिपोर्ट दिनांक 19.06.19, प्रमाणित प्रतिलिपि नकल जमाबन्दी संवत 2072-75, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी संवत् 2072-75, प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा ट्रेस मसावी तरमीमी ग्राम फुलेरा, नक्शा सर्वे ग्राम फुलेरा, नक्शा सर्वे सेटलमेन्ट आदि पेश की है। अप्रार्थी सं0 1 लगा0 14 की ओर से पत्थरगढ़ी रसीद चालान 1866 दिनांक 30.09.61, नक्शा आदि पेश किये है।

4. बहस वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण की कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी खं0नं0 200/1039 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम फुलेरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित है इस प्रकार उक्त आराजी प्रार्थीगण के कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी है जिस पर काबिज होकर प्रार्थीगण उक्त आराजी का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण की आराजी के नजदीक अप्रार्थी सं0 1 लगा0 38 की आराजी है तथा नजदीकी आराजी के खातेदार अप्रार्थी सं0 1 लगा0 38 आयेदिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न कर झगड़ा फिसाद पर आमंदा रहे है तथा आराजी सीमा सम्बन्धित अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर रखा है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की आराजी खं0नं0 200/1039 की सीमा का ज्ञान करवाने हेतु नियमानुसार अप्रार्थी सं0 39 के समक्ष प्रा0पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थी सं0 39 ने हल्का पटवारी को आदेश क्रमांक एल0आर0/19/2668 दिनांक 10.06.19 को प्रार्थीगण की आराजी का सीमाज्ञान करने का आदेश हल्का पटवारी को प्रदान किया जिस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 19.06.19 को मौके पर जाकर प्रार्थीगण की आराजी का सीमाज्ञान कर रिपोर्ट तैयार की। हल्का पटवारी ने प्रार्थीगण की उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर उपरोक्त रिपोर्ट तैयार की अप्रार्थी सं0 39 के कार्यालय में प्रस्तुत की जिसके पश्चात् भी प्रार्थीगण की आराजी की सीमा सम्बन्धित विवाद उत्पन्न हो रखा है। इस कारण प्रार्थीगण मुताबिक फर्द रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 19.06.19 के अनुसार प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी के पत्थरगढ़ी करवाकर उसके आधार पर तारबन्दी करवाना चाहते है जिससे प्रार्थीगण के कब्जें काश्त में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो सके ओर सीमा सम्बन्धित कोई विवाद भविष्य में उत्पन्न नहीं हो। वकील अप्रार्थी सं0 1 लगा0 14 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण ने खं0नं0 200/1039 की जमीन का सीमाज्ञान कतई गलत तरीकें से करवाया है उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान करवाते समय पड़ौसी खाातेदार अप्रार्थी सं0 1 लगा0 14 को किसी प्रकार से सूचित नहीं किया गया है ओर सीमाज्ञान अप्रार्थी सं0 1 लगा0 14 की गैर मौजूदगी में किया गया है इसलिए प्रार्थीगण की आराजीयात की पत्थरगढ़ी किया जाना कतई गलत है क्योंकि अप्रार्थीगण की आराजीयात का वर्ष 1953 में सीमाज्ञान किया जाकरी उनकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.07.28 14:23:14 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

आराजीयात की पत्थरगढ़ी भी पूर्व में कराई पश्चात प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की आराजीयात को दबाने हेतु पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का, पुलिस थाने से मिलकर कार्य गलत ढंग से सीमाज्ञान अपनी आराजीयात का करवाकर लिया है जिसमें अप्रार्थीगण की भूमि को भी प्रार्थीगण ने अपनी आराजीयात में बताकर सीमाज्ञान करवाया है जिसके आधार पर पत्थरगढ़ी किया जाना कतई गलत है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

6. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस प्रार्थीगण पर अवलोकन/मनन किया गया। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। सीमाज्ञान राजस्व कार्मिकों द्वारा मुताबिक राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी व नक्शा के अनुसार किया गया है। अप्रार्थीगण का कथन व प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार अप्रार्थीगण ने अपनी भूमि खं0नं0 199 की पत्थरगढ़ी दिनांक 20.05.57 को करवाई थी, अप्रार्थीगण द्वारा कराई गई पत्थरगढ़ी को 62 वर्ष व्यतीत हो चुके है। उक्त पत्थरगढ़ी के पत्थर मौके पर कायम है, यह अप्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष साबित नहीं किया है। अप्रार्थीगण के खेत के सींव मेड़ में इतने वर्षों में बदलाव आने से इंकार नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिसमें वर्तमान में उनकी खातेदारी खं0नं0 199 की मौकास्थिति मुताबिक नक्शा सही हो। अप्रार्थीगण को अपनी भूमि मुताबिक रिकोर्ड व नक्शा कब्जा दुरस्त करने का अधिकार है, जिसके लिए वह सक्षम न्यायालय में अलग से कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थीगण को भी राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी व नक्शा के अनुसार अपनी खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त कायम रखने का अधिकार है व मुताबिक राजस्व रिकोर्ड अपनी खातेदारी भूमि की सींव डोल कायम करवाने का अधिकार है। प्रार्थीगण द्वारा जो दस्तावेज राजस्व नक्शा पेश किया है उसके साथ G-CAD SOLUTION द्वारा बनाया गया Imposed नक्शा पेश किया उक्त नक्शा साक्ष्य का हिस्सा नहीं हो सकता मगर उक्त दस्तावेज मौका स्थिति पर प्रकाश डालने में सहायक का कार्य कर रहा है। प्रार्थीगण ने विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार सीमाज्ञान करवाने के पश्चात् मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी करवाने का प्रा0पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसरण में प्रार्थीगण मुताबिक राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी व नक्शा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का हकदार है। प्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में सफल रहे है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण साबित होने पर स्वीकार किया जाता है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की आराजी खं0नं0 200/1039 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम फुलेरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 की मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 19.06.2019 के अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार फुलेरा को उक्त निर्णय की पालना की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.7.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.07.28 14:23:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक (जयपुर)

Scanned by CamScanner